...ालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 22.9.17

मि.न.153 / 17

सरकार बनाम दाताराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 रकबा 61.84 है0 ख0 न0 371 रकबा1.66 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 4.50 है0 पर दाताराम.हनुमान पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बाजरा, ग्वार, जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये । जबाब पेशं किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैरसायल ने अपने जवाब में कथन किया की उक्त आराजीयात खसरा नंबर 455,371में संवत 2034 से नियमित कास्त करता आ रहा है तथा नियमित रूप से राजस्व के रूप में पैलन्टी जमा करवाता आ रहा है।अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।गैर सायल ने गत वर्षों की रसीद भी पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल दाताराम.हनुमान पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी गोपलपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 ख0न0 371 रकबा 1:60 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 4.50 है0 पर बाजरा ग्वार जोत ग्वार कर अतिकमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है चूकि प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आराजीयात पर वह संवत 2034 से नियमित कास्त करता आ रहा है जबकी उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नदी है जिसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536 / 2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।अतः अतिकमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः दाताराम.हनुमान पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा निवासी गोपलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 ख0न0 371 रकबा 1.60है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 4.50है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई कास्त शुदा फसल बाजरा,ग्वार को कब्जे राज लेकर निलाम कर व जोत को हटवाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 9.00का पचास गुणा 450 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली फसल निलामी हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.9.17 को खुले इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-14